



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग

प्र0सं0, 175/2019,(जी.सी.एम.एस. न. 2017/00443)

पीठासीन अधिकारी श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

1. रासबिहारी
 2. हरदेव
 3. उमाशंकर
 4. हरस्वरूप
 5. सोनदेई वेवा जीवन जाति ब्राह्मण नि0सामई तहसील व जिला डीग(राज0)
- पुत्रगण जीवन वारिस काबिज जायदाद मृतक पिता जीवन,जातियान ब्राह्मण नि0 सामई तहसील व जिला डीग(राज0)

-वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग
 2. सुशीला
 3. विशनो
 4. सहोदरा
- पुत्रियांन स्व. श्री जीवन जाति ब्राह्मण नि0 सामई तहसील व जिला डीग(राज0)

-असल प्रति0

-तरतीवी प्रति0

दावा बावत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 व 19 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय

दिनांक: 15.04.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ. ख. नम्बरान 1225/0.15, 1226/0.12, 1229/0.12, 1231/0.12, 1881/0.15, 1960/0.24, कुल किता-6 कुल रकबा 90 ऐअर एवं आराजी खसरा नम्बरान 1213/0.07, 1214/0.11, 1215/0.10, 1216/0.09, 1217/0.17, 1218/0.25, कुल किता-6 रकबा 0.79 ऐअर वाके ग्राम सामई तहसील डीग में स्थित है। उक्त आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर वादीगण के पिता एवं पिता के पिता अपने जीवनकाल से काश्त करते चले आ रहे है,परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित आराजी मुत0 में वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 को वाहैसियत गैर खातेदार विल्कुल गलत अंकित किया जा रहा है,जबकि कानूनन वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। परन्तु वादीगण एवं तरतीवी प्रति0 को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है जोकि गलत है। अतः निवेदन है कि आ. ख. नम्बरान 1225/0.15, 1226/0.12, 1229/0.12, 1231/0.12, 1881/0.15, 1960/0.24, कुल किता-6 कुल रकबा 90 ऐअर एवं आराजी खसरा नम्बरान 1213/0.07, 1214/0.11, 1215/0.10,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (राज0)



1216/0.09, 1217/0.17, 1218/0.25, कुल किता-6 रकबा 0.79 ऐअर वाके ग्राम सामई तहसील डीग में स्थित है में वादीगण एवं तरतीवी प्रति० को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति० को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 23.12.2013 को फॉर्म नम्बर-3 के साथ दस्तावेजात पेश किये गये। दिनांक 10.02.2016 को जबाव सरकार पेश किया गया।


दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर दिनांक 30.01.2017 को तनकीयात कायम की गई:-

1. आया वादीगण विवादित आराजीयात पर स्वयं के खातेदार काशतकार घोषित करा पाने अधिकारी है?
2. दादरसी?

साक्ष्य वादीगण में वादीगण ने पीडब्ल्यू-1, रासविहारी पुत्र जीवनलाल व पीडब्ल्यू-2, नरेश के बयान पंजीबद्ध किये गये तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 22 पेश किया गया। दिनांक 05.04.2021 को जबाव तहसीलदार प्राप्त हुआ। वादी वकील की ओर से दिनांक 15.07.2021 को फॉर्म नम्बर 3 के साथ दस्तावेज पेश किये गये दिनांक 24.11.2021 को सरकार की ओर से एक और जबाव पेश किया गया। वकील वादीगण की ओर से दिनांक 06.10.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी.पेश किया गया। जिसमें सभी तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4 को तर्क कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र को सुनवाई उपरांत स्वीकार किया जाकर तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4 को तर्क किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। तहसीलदार डीग के पत्रांक:एल.आर. /24/1858 दिनांक 12.08.2024को रिपोर्ट प्राप्त होकर दिनांक 05.09.2024 को शामिल पत्रावली हुई। दिनांक 11.03.2025 को दावे पर फाईनल बहस सुनी गई।

हमने वादी के वादपत्र, पैरोकार सरकार के जबाव, पीडब्ल्यू-1 रासविहारी प्रदर्श-9 जमाबन्दी सम्बत 2066 से 2069 वाके ग्राम सामई के खसरा नम्बर 1225/0.15 किस्म बारानी-1, 1226/0.12 किस्म बारानी-1, 1229/0.12 किस्म बारानी-1, 1231/0.12 किस्म बारानी-1, 1881/0.15 किस्म बारानी बारानी-1, 1960/0.24 किस्म नहरी-2, में वादीगण के पिता एवं पति हि० 1/2 के गैर खातेदार, खसरा नम्बर 1213/0.07, 1214/0.11, खसरा नम्बर 1213/0.07 किस्म बारानी-1, 1214/0.11 किस्म बारानी प्रथम, 1215/0.10 किस्म बारानी प्रथम, 1216/0.09 किस्म बारानी प्रथम, 1217/0.17 किस्म बारानी-प्रथम, 1218/0.25 किस्म बारानी प्रथम में हि० 1/12 के वादीगण के पिता एवं पति गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-7, मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1225/0.15 साविक खसरा नम्बर 1679 रकबा 19 विस्वा, 1226/0.12 साविक खसरा नम्बर 1680 रकबा 16 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1229/0.12 साविक खसरा नम्बर 1653 मिन रकबा 13 विस्वा, 1655 मिन रकबा 18 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1231/0.12 साविक खसरा नम्बर 1656 रकबा 14 विस्वा, 1657 रकबा 7 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1881/0.15 साविक खसरा नम्बर 2846 मिन, 2848 मिन, 2849 मिन रकबा 13 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1960/0.24 साविक


उपपरिष्ठ अधिकारी
डीग (अंग) राज.

खसरा नम्बर 1347 रकबा 1 वीघा 8 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1213/0.07 साविक खसरा नम्बर 1717 मिन 1 वीघा 4 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1214/0.11 साविक खसरा नम्बर 1717 मिन हाल खसरा नम्बर 1215/0.10 साविक खसरा नम्बर 1717मिन, 1718मिन 13विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1216/0.09 साविक खसरा नम्बर 1717मिन, 1718मिन हाल खसरा नम्बर 1217/0.17 साविक खसरा नम्बर 1715 रकबा 4 विस्वा, 1716 रकबा 11विस्वा हाल खसरा नम्बर 1218/0.25 साविक खसरा नम्बर 1712 रकबा 1वीघा 8 विस्वा से मिलकर बना है। प्रदर्श-4, जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2015 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 1712 रकबा 13 विस्वा किस्म बंजर कदीम, 1715 रकबा 4 विस्वा किस्म बंजर कदीम, 1716 रकबा 11 विस्वा किस्म बंजर कदीम, 1718 रकबा 10 विस्वा किस्म बंजर कदीम, 1717 रकबा 1 वीघा 4 विस्वा किस्म बंजर कदीम कॉलम नम्बर 5 में मकबूजा मालकान व कॉलम नम्बर 4 में कन्हैया, खैमा, देवीराम व छत्रपाल पिस0 धन्ना कॉम ब्राह्मण ज्वेसीगोंड साकिन देह व हिस्सा बरावर।

प्रदर्श-5, जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 2848 रकबा 2 वीघा 10 विस्वा, 2849 रकबा 13 विस्वा किस्म बारानी प्रथम कन्हैया व देवीराम पिस0 धन्ना कॉम ब्रा0सा.देह गैर खातेदार व काश्त कन्हैया, गैर खातेदार व जीवन वल्द कन्हैया कॉम ब्रा0 सा0देह शिकमी निस्फ दर्ज है।

प्रदर्श-6, जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 के अनुसार 1653 रकबा 13 विस्वा किस्म बारानी, कन्हैया वल्द धन्ना कॉम ब्रा0सा0देह गैर खातेदार दर्ज है। साविक खसरा नम्बर 1655 रकबा 18 विस्वा, 1656 रकबा 14 विस्वा, 1657 रकबा 7 विस्वा, 1679 रकबा 19 विस्वा, 1680 रकबा 16 विस्वा किस्म बारानी कन्हैया व दौलीराम पिस0 धन्ना कॉम ब्राह्मण व हिस्सा बरावर गैर खातेदार,

प्रदर्श-8, मानचित्र मौजा सामई सम्बत 1926,


प्रदर्श-1, जमाबन्दी सम्बत 2017 से 2020,

प्रदर्श-2, जमाबन्दी सम्बत 2017 से 2020 जिसमें साविक खसरा नम्बर 2846 रकबा 1 वीघा 19 विस्वा किस्म कदीम कन्हैया वल्द धन्ना कॉम ब्राह्मण साकिन देह खातेदार निस्फ जीवन वल्द कन्हैया कॉम ब्रा0 सा.देह शिकमी निस्फ मिन. जा देवीराम दर्ज है।

प्रदर्श-3, जमाबन्दी सम्बत 2017 से 2020

साविक खसरा नम्बर 1347 रकबा 1 वीघा 8 विस्वा कन्हैया वगै0 खातेदार मु0 खाता संख्या मा खैमा व छत्तरपाल पिस0 धन्ना कॉम ब्राह्मण व हिस्सा बरावर शिकमी दर्ज है। साविक खसरा नम्बर 1655, 1656, 1657; 1679, 1680 कन्हैया व देवीराम पिस0 कॉम सा0देह हिस्सा बरावर गैर खातेदार 2848, 2849, कन्हैया वल्द धन्ना कॉम ब्राह्मण निस्फ जीवन वल्द कन्हैया कॉम ब्रा0 सा0देह शिकमी मि जा देवीराम वल्द धन्ना गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-10 जमाबन्दी सम्बत 2074-2077 हाल खसरा नम्बर 1225, 1226, 1229, 1231, 1881, 1960 में वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 हिस्सा बरावर 1/16 के गैर खातेदार दर्ज है।


उपस्थ अधिकारी
डॉम (जंग) राज.

प्रदर्श-11 जमाबन्दी सम्बत 2074-2077 में हाल खसरा नम्बर 1213,1214,1215,1216,1217,1218 में वादीगण 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 हिस्सा बरावर 1/20 के गैर खातेदार दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया एवं वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नानुसार निर्णीत की गई:-

तनकी संख्या:-1, आया वादीगण विवादित आराजीयात पर स्वयं को खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है?


इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। प्रदर्श-10 जमाबन्दी सम्बत 2074-2077 वाके ग्राम सामई खसरा नम्बर 1225/0.15,1226/0.12,1229/0.12, 1231/0.12, 1881/0.15, 1960/0.24 में वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 हिस्सा बरावर 1/16 के गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-11 जमाबन्दी सम्बत 2074-2077 खसरा नम्बर 1213/0.07, 1214/0.11, 1215/0.10, 1216/0.09, 1217/0.17, 1218/0.25 में वादीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 हिस्सा बरावर 1/20 के गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-9, जमाबन्दी सम्बत 2066 से 2069 वाके ग्राम सामई के खसरा नम्बर 1225/0.15,1226/0.12, 1229/0.12, 1231/0.12, 1881/0.15, 1960/0.24 में वादीगण के पिता एवं पति गैर खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 1213/0.7, 1214/0.11, 1215/0.10, 1216/0.09, 1217/0.17, 1218/0.25, में वादीगण के पिता एवं पति गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-7, मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1225/0.15, साविक खसरा नम्बर 1679 रकबा 19 विस्वा, 1226/0.12 साविक खसरा नम्बर 1680 रकबा 16 विस्वा हाल खसरा नम्बर 1229/0.12 साविक खसरा नम्बर 1653 मिन रकबा 13 विस्वा, 1655 मिन रकबा 18 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1231/0.12 साविक खसरा नम्बर 1656 रकबा 14 विस्वा, 1657 रकबा 7 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1881/0.15 साविक खसरा नम्बर 2846 मिन 2848 मिन, 2849 मिन रकबा 13 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1960/0.24 साविक खसरा नम्बर 1347 रकबा 1 वीघा 8 विस्वा हाल खसरा नम्बर 1213/0.07 साविक खसरा नम्बर 1717मिन रकबा 1 वीघा 4 विस्वा हाल खसरा नम्बर 1214/0.11, साविक खसरा नम्बर 1717 मिन हाल खसरा नम्बर 1215/0.10 साविक खसरा नम्बर 1717मिन 1718मिन रकबा 13 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 1216/0.09 साविक खसरा नम्बर 1717मिन 1718मिन हाल खसरा नम्बर 1217/0.17 साविक खसरा नम्बर 1715 रकबा 4 विस्वा, 1716 रकबा 11विस्वा,हाल खसरा नम्बर 1218/0.25, साविक खसरा नम्बर 1712 रकबा 1 वीघा 8 विस्वा से मिलकर बना है।

प्रदर्श-4 जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2015,प्रदर्श-5 जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024,प्रदर्श-6 जमाबन्दी सम्बत 2021 से 2024 में पूर्वजों, प्रदर्श-3 जमाबन्दी सम्बत 2017 से 2020,प्रदर्श-2 जमाबन्दी सम्बत 2017 से 2020 में वादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नम्बर की भूमि वादीगण पूर्वजों के नाम गैर खातेदार दर्ज है।


उपस्थित अधिकारी
डॉ. (अ.ग.) राजू

भूमि की किस्म के अनुसार हाल एवं साविक खसरा नम्बर की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं रही है। दिनांक 12.08.2024 की तहसीलदार की मौके,कब्जे की रिपोर्ट के मुताबिक वादग्रस्त आराजी पर सभी गैर खातेदारों का ही कब्जा काशत है। अपेन हिस्से अनुसार काशत करते चले आ रहे है। पैरोकार सरकार ने भी अपने जबाव दावे में ग्राम सामई कमाण्ड क्षेत्र में आता है। अतः सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार शुल्क जमा करने पर खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित होगा,लिखा है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या:-2,दादरसी?

उभय पक्ष अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करें।

तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88,89 व धारा 19 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश है कि:-

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 1225/0.15, 1226/0.12, 1229/0.12, 1231/0.12, 1881/0.15, 1960/0.24, 1213/0.07, 1214/0.11, 1215/0.10, 1216/0.09, 1217/0.17, 1218/0.25, वाके ग्राम सामई तहसील डीग में स्थित आराजीयात पर वादीगण संख्या 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 के राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार की प्रबिष्टियों को सरकार द्वारा कमाण्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित शुल्क वादीगण द्वारा जमा राजकोष कराये जाने पर कलमजन किया जाकर खातेदार काशतकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (जेग) राज

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को खुल न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(देवी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (जेग) राज